संख्याः227/2019/1479/35-4-2019

प्रेषक

अनिल कुमार यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

प्रधान महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम
उत्तर प्रदेश,प्रयागराज ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊः दिनॉकः 06 सितम्बर,2019

विषय-वित्तीय वर्ष 2008-2014 की अवधि में केन्द्रीय योजना ''बेसिक स्टैटिस्टिक्स फार लोकल लेविल डेवलपमेंट'' (बी.एस.एल.एल.डी.) के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि के सापेक्ष अनुपयोजित रू. 880/- की धनराशि भारत सरकार को भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन के नियोजन अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-226/2019/1478/35-4-2019, दिनांक 06 सितम्बर, 2019 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा भारत सरकार को तदर्थ रूप से रू0 880/-(रू0 आठ सौ अस्सी मात्र) का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर के माध्यम से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2- कृपया तद्नुसार रू0 880/-(रू0 आठ सौ अस्सी मात्र) की धनराशि उत्तर प्रदेश राज्य के खाते से डेबिट कर भारत सरकार के खाते को क्रेडिट किये जाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर को समायोजन एडवाईस(Inter Governmental Adjustment Advice)प्रेषित करने का कष्ट करें।

3- उक्त व्यय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के लेखाशीर्षक-''1601- केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-06- केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें-900-घटायें-वापसियों -01-वापसियाँ '' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या -ई-5-1198(1)/दस-2019,दिनांक 30 अगस्त, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(अनिल कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्याः227/2019/1479/35-4-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय,केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन(सामाजिक सांख्यिकीय अनुभाग), भारत सरकार,पश्चिम ब्लाक-8,विंग नं0-6,आर0के0 पुरम,नई दिल्ली-110066
2- प्रधान लेखाधिकारी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, 227, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, दिल्ली-110001
3- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार यादव)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।